न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 105 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट

1. उगमसिंह पुत्र श्री पाबुदानसिंह जाति पुरोहित निवासी गांव बालासर तहसील शिव जिला बाड़मेर।
2. मिश्रा पुत्र श्री नथा जाति पुरोहित निवासी गांव बालासर तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.भैरूसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
2.नखतसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
3.पीरसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह
4.मु. जतनो बेवा श्री सुजानसिंह
5.ताजुसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह सभी जाति पुरोहित निवासी गांव बालासर तहसील शिव जिला बाड़मेर।
6.आम्बा पुत्र श्री चूना
7.पन्ना पुत्र श्री चूना दोनों जाति पुरोहित निवासी गांव बालासर तहसील शिव जिला बाड़मेर।
8.गेमर पुत्र श्री दुर्गसिंह
9.माधुसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह
10.इन्द्रसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह
11.नारायणसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह
12.छगनसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह सभी जाति पुरोहित निवासी गांव बालासर तहसील शिव जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 51 / 2014 बअनवान भैरूसिंह वगैरह बनाम उगमसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री अमृत जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 06.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 372 / 195 रकबा 42.09 बीघा व खसरा संख्या 373 / 195 रकबा 42.09 बीघा ग्राम बालासर तहसील शिव जिला बाड़मेर में स्थित है, प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 224 में निर्मित पानी के टांके पर जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट के अधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह मौके पर जाकर तैयार नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

की गई है न ही अपीलांट/विप्रार्थीगण की उपस्थिति में बनाई गई है और न ही इस पर किन्हीं मौजीज व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। रेस्पोडेंट ने अपने आवेदन में खसरा संख्या 224 में निर्मित जिस टांके को सरकारी टांका बतलाते हुए पानी हेतु जाने के लिए रास्ते की मांग की है, वह टांका सरकारी टांका नहीं होकर अपीलांट उगमसिंह स्वयं का टांका है। रेस्पोडेंट के लिए बालासर से लीकड़ी डामर सड़क की तरफ निकटतम रास्ता वैकल्पिक रास्ते के रूप में उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने विप्रार्थी संख्या 10 श्रीमती भंवरीदेवी बेवा दुर्गसिंह के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जबकि भंवरीदेवी बेवा दुर्गसिंह का स्वर्गवास 15 से 20 वर्ष पहले ही हो चुका है। रेस्पोडेंट को इसकी बखूबी जानकारी थी लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसे गलत रूप से पक्षकार मुकदमा बनाया और उसकी गलत रूप से तामील करवाकर आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता की आराजी का बिना समुचित वस्तुस्थिति का पता किये पारित किया है, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि पर कभी कोई मार्ग नहीं था तथा उतरदातागण को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ता का अन्य विकल्प मौजूद है खसरा संख्या 220 के पास का रास्ता नजदीकतम है खसरा संख्या 196 हेतु भी सुविधाजनक है। जिसको उतरदाता अपनी जोत में आने जाने हेतु उपयोग में लेता है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एकपक्षीय व गलत बनाई गई है। मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकारान के व पड़ोसीयान के हस्ताक्षर नही है तथा न ही मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व पक्षकारो को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रास्ते को लेकर एक अन्य प्रकरण भी पेश किया गया है जो खसरा संख्या 196 मे भी खसरा संख्या 224 में से रास्ता मांगा है अतः दोनों रास्ते खसरा संख्या 224 में से मांग की है। दोनों आवेदन पेंडिग होने से एक साथ विचार करना था। खसरा संख्या 372/195 स्वयं भी भूमि में से भी 0.05 बीघा भूमि के पैसे दिये है जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि मौजा बालासर तहसील शिव जिला बाड़मेर खसरा संख्या 372/195 रकबा 42.09 बीघा व खसरा संख्या 373/195 रकबा 42.09 बीघा में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि भी जमा करवा दी गई है। मौका फर्द बनाने से पूर्व दिनांक 25.09.2017 को उभयपक्ष को मौके पर उपस्थित के आदेश दिए थे। मृतक भंवरी बेवा दुर्गसिंह का नाम दिनांक 23.11.2017 को विलोपित कर दिया गया था। प्रस्तावित रास्ता एकमात्र रास्ते का विकल्प है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उसे तैयार करने से पूर्व अपीलांटगण को किसी भी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। मौका फर्द एकपक्षीय बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तावित रास्ते के आवेदन के अलावा खसरा संख्या 196 के खातेदार ने भी रास्ते के लिए आवेदन किया था। दोनों आवेदन पेंडिग होने से एक साथ विचार करना न्यायोचित था। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई उपयुक्त व सुगम रास्ते का विकल्प उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बाद परीक्षण विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 51/2014 बअनवान भैरूसिंह वगैरह बनाम उगमसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.11.2017 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार स्वयं से अपनी उपस्थिति में मौका निरीक्षण करवा कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार सुगम, निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ते को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

06/2/20
(नाथूसिंह सवाऊ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/2/20
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner